न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 04.03.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00014

चुन्नीलाल पिता दयाराम खटीक आयु 50 वर्ष, निवासी संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–उप तहसीलदार मंगलवाड़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–राज्य सरकार पटवारी, पटवार हल्का संगेसरा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय व आदेश उप तहसीलदार, मंगलवाड़ प्रकरण संख्या 534/2019 आदेश दिनांक 20.01.2020

उपस्थितिः–1– श्री कृष्ण गोपाल व्यास, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाके मौजा संगेसरा में स्थित आराजी संख्या 1164/573 आबादी भूमि एवं आराजी संख्या 477 किस्म रास्ता भूमि पर अपीलांट का 1.5X8.5 वर्ग गट्टे पर अतिक्रमण होना मानकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना मौके से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बेदखल किये जाने तथा 50 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, मंगलवाड़ से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि पटवार हल्का संगेसरा के द्वारा बनाई गई एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार, मंगलवाड़ ने ग्राम संगेसरा की आराजी नम्बर 1164/573 आबादी भूमि तथा आराजी नम्बर 477 किस्म रास्ता भूमि में अपीलांट का 1.5X8.5 वर्ग गट्टे पर अतिक्रमण होना मानते हुए मौके से बेदखल करने एवं 50 रूपये जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित किया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया तथा पटवार हल्का ने तथाकथित मौका रिपोर्ट भी अपीलांट व अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में नहीं बनाई। पटवार हल्का की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर यह विवादित आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। वास्तविकता यह है कि प्रकरण में उल्लेखित आबादी एवं रास्ते की भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है अपितु अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की खरीदशुदा आराजी नम्बर 483 ग्राम संगेसरा पर अपीलांट शांतिपूर्ण काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रहा है आराजी नम्बर 1164/573 किस्म आबादी एवं आराजी नम्बर 477 किस्म रास्ता भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पटवार हल्का द्वारा अपीलांट के खातेदारी की भूमि की मौके पर कोई नपती नहीं की गई। यदि अपीलांट के खातेदारी की भूमि की वास्तविकता में नपती की जाती तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती कि अपीलांट का उक्त आबादी एवं रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रकरण की सुनवाई में जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सिविल न्यायालय में उक्त कार्यवाही के संबंध में विचाराधीन प्रकरण से संबंधित साक्ष्य-सबूत पेश करने का कोई माकूल अवसर प्रदान नहीं किया तथा आनन-फानन में उक्त विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश पारित कर दिया जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 की जानकारी अपीलांट का नहीं दी गई। दिनांक 31.01.2020 को मौके पर राजस्व कर्मचारी आये और उक्त आदेश की जानकारी दी जिस पर जानकारी होते ही अविलम्ब दिनांक 31.01.2020 को नकल निर्णय की प्रति प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है फिर भी अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उसे क्षम्य कराने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.01.2020 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में आबादी एवं रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलांट ने मौजा संगेसरा की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1164/573 किस्म आबादी एवं आराजी नम्बर 477 किस्म रास्ता भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं होने संबंधी कथन किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में भी उक्त कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.01.2020 में भी अपीलांट द्वारा उसके खातेदारी की भूमि की नपती करवाने हेतु निवेदन किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विवादित भूमि

Web Copy - Not Official

पर कोई कब्जा नहीं होने संबंधी कथन तथा भूमि की नपती करवाने संबंधी कथनों पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा अपीलांट का विवादित आराजीयात पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट को बेदखल करने तथा जुर्माना 50 रूपये आरोपित करने संबंधी विवादित आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.01.2020 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर, स्वयं की उपस्थिति में विवादित आराजीयात के संबंध में मौका जांचकर तथा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)

Web Copy - Not Official